उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–05/2024–25

सरकार

बनाम्

राजेश कु0 साह वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 10/9/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या–14/2024 दिनांक –28.01.2024 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–1768/अप0शा0 दिनांक–13.06.2024 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-1786 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर बर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-1786 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-1786 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन

संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, के मालिक राजेश कुमार साह, पिता–लक्ष्मीकान्त साह, सा0–चिलरा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-1786, के मालिक मो0 समशेर, पिता–मोहम्मद मास्सो, सा0–पैथनपुरा, थाना–कहलगॉव, जिला–भागलपुर, बिहार एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक इन्दरदेव यादव, पिता–चतुरी यादव, सा0–गंगटाकला, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-1786 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षीगण की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। विपक्षी राजेश कुमार साह ने अपने कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि विपक्षी का जप्त वाहन व्यावसायिक वाहन है एवं इनके वाहन पूर्व में कोई भी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया है। विपक्षी न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी मो0 समशेर ने दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि विपक्षी का किसी प्रकार का कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है। विपक्षी ने अपना जमानत करा लिया है एवं बंधपत्र भी दाखिल कर दिया है तथा विपक्षी भविष्य में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी इन्द्रदेव यादव ने दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया है कि धार्मिक कार्य जो ग्रामीणों द्वारा कराया जा रहा था, इस हेतु बालू उक्त वाहन से ले जा रहा था। वाहन जाँच के क्रम में वाहन पर मामला दर्ज किया गया है। जबकि विपक्षी जानबूझ कर ऐसा गलती नहीं

किया है। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-1786 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्तता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17W-7980	01	350	14000.00	28000.00	50000.00	78000.00
BR10GC-1786	02	350	14000.00	28000.00	100000.00	128000.00
JH17T-5568	02	100	4000.00	8000.00	100000.00	108000.00

एवं उपरोक्त क्रमांक–01 एवं क्रमांक–02 दो–दो लाख रू0 तथा क्रमांक–03 एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर 1. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–JH17W-7980, 2. मिनी हाईवा निबंधन संख्या–BR10GC-

1786 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17T-5568, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं उपरोक्त क्रमांक–01 एवं क्रमांक–02 दो–दो लाख रू0 तथा क्रमांक–03 एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा।

उपायुक्त, गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.11 11:57:54 +05:30
Location: 192.168.1.2